राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 692/2024

नाथूलाल बैरवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला सर्किल, जयपुर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में स्टोर मुंशी के पद पर उपखंड सांभरलेक, जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपखंड मकराना किया गया है। उनका कथन है कि उसे आदेश दिनांक 19.02.2020 के द्वारा उक्त पद पर स्थायी घोषित किया गया और मात्र 2 वर्ष की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक उपखंड से दूसरे उपखंड में तथा एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जिससे अपीलार्थी की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पडेगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13277/2016 सुनील कुमार पुरोहित बनाम राजस्थान राज्य में ऐसे स्थानान्तरण को उचित नहीं माना है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है और अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है। चूंकि अपीलार्थी का मासिक वेतन रूपये 86,025/– है। अपीलार्थी कार्य प्रभारित संवर्ग में स्टोर मुंशी के पद पर कार्यरत था और इस संवर्ग में वरिष्ठता सूची न तो जारी की जाती है और न ही संधारित की जाती है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन स्टोर मुंशी के पद पर उपखंड सांभरलेक, जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उपखंड मकराना किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक उपखंड से दूसरे उपखंड में तथा एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, जिससे अपीलार्थी की वरिष्ठता पर विपरीत प्रभाव पडेगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13277/2016 सुनील कुमार पुरोहित बनाम राजस्थान राज्य में ऐसे स्थानान्तरण को उचित नहीं माना है। जहां तक अपीलार्थी को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी कार्य प्रभारित संवर्ग का कार्मिक है और ऐसे कार्मिकों की वरिष्ठता एवं संधारण जिले स्तर पर नहीं की जाती है। अपीलार्थी एक ही स्थान पर लम्बे समय से पदस्थापित है और प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य**

(**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अतः अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)